सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 637 राँची, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

12 जुलाई, 2019

संख्या-06/ज.वि.प्र.(नीतिगत)-03/2019-खा.आ. - 2045-- विभागीय अधिसूचना संख्या-06/06-ज॰वि॰प्र॰ (नीतिगत)-01/2017-खा॰आ॰-777, दिनांक 07.03.2019 के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 अधिसूचित किया गया है।

2. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-38 में यह प्रावधानित है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के सफल व सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु भविष्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इस आदेश के नीतिगत मामलों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-20 (xxii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

"अनुज्ञप्ति निलम्बन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। अनुज्ञप्ति निलम्बन के 90 दिनों के अन्दर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त इस विषय में अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा।"

4. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-21(i) के अंत में निम्नवत् अंश जोड़ा जाता है -

"लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में प्रातः 07:00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 06:00 बजे के उपरान्त सरकार द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न/नमक/ चीनी/किरासन तेल/अन्य सामग्रियों का वितरण नहीं किया जायेगा।"

5. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-9(x) के रूप में निम्नवत् नया अंश जोड़ा जाता है -

"प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित प्रति जन वितरण दुकान राशन कार्डों की औसत संख्या के आधार पर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में कार्डों की टैगिंग की जाय। किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुकानदार के कार्डों की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन नहीं होना चाहिए। "

6. उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 637 -- 50